

कार्यालय

तहसीलदार-सिकन्द्राबाद

जिला-बुलन्दशहर

पत्रांक 1900(10) /आर0के0

दिनांक:- 22-8-16

## प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों के तालाबों/पोखरों के मत्स्य पालन हेतु 5 वर्षीय पट्टे पर उठाने के लिए पट्टा शिविर का आयोजन तहसील सिकन्द्राबाद तहसील सभागार कक्ष सं0-14 दिनांक 30.08.2016 को प्रातः 10.00 बजे से 2.00 बजे तक किया जायेगा। पट्टा शिविर में पट्टा आवंटन की कार्यवाही शासनादेश संख्या-356-1-2/95 रा0-2 दिनांक 17.10.1995 के अनुसार पंजीकृत मछुआ समितियों/समुदायों/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। पट्टा नीलामी हेतु राजस्व संहिता-2006 के अनुसार न्यूनतम बोली हेतु 5,000रु0 प्रति हैक्टैअर प्रति वर्ष होगी। इच्छुक पात्र व्यक्ति खसरा, खतौनी, जाति प्रमाण पत्र व प्रार्थना पत्र के साथ निर्धारित समय व स्थान व नियत तिथि को उपस्थित होकर आवंटन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित हों। उपस्थित व्यक्तियों में से नीलामी की बोली के आधार पर मत्स्य पालन पट्टा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। पट्टे की अवधि पांच वर्ष के लिए होगी। सर्वाधिक बोलीदाता को नीलामी के उपरान्त एक वर्ष का लगान जमा कराना होगा। पट्टा स्वीकृति/अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार उपजिलाधिकारी महोदय सिकन्द्राबाद का होगा।

ग्रामों की सूची निम्न प्रकार है:-

क0सं0	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (है0में)
1	2	3	4
1	नगला काला	201	0.6070
2	आजमपुर हुसैनपुर	193	1.1640
		466	1.2520
3	आढा	1349	0.3540
4	बडौदा	338	0.8600
5	जाहिदपुर	361	0.6700
6	झाझर	987	0.4930
7	चोला	865	0.6200
8	अरनिया कमालपुर	163	0.2280
9	सलौनी उर्फ रौनी	397	1.2010
10	अजयनगर उर्फ जाफरपुर बूहू	258	0.2530
11	कुटवाया	67	0.3160
12	भौरा	594	2.5420
13	नगला गोविन्दपुर	261	0.3670
14	दादूपुर नीला	188	0.6700
15.	बैरवाइशहरपुर	564 632	0.752 0.202

तहसीलदार,  
सिकन्द्राबाद।

1900(10)

पत्रांक- /आर0के0/मत्स्य पालन पट्टा/2015-16

तददिनांक:- 22-8-16

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. उपजिलाधिकारी महोदय सिकन्द्राबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, बुलन्दशहर/खुर्जा/स्याना/डिबाई/अनूपशहर/शिकारपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक निदेशक मत्स्य, बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया नेट पर डालने का कष्ट करें।
6. अपर जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को उक्त विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
7. राजस्व निरीक्षक सिकन्द्राबाद/चोला को इस निर्देश के साथ कि वह अपने क्षेत्र से सम्बन्धित उक्त ग्रामों के लेखपालों को इस विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार अपने-अपने ग्रामों में कराने तथा मुनादी कराने तथा मुनादी की प्रति निर्धारित पट्टा शिविर की तिथि को प्रस्तुत करने हेतु।
8. नायब तहसीलदार सिकन्द्राबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सम्बन्धित ग्राम सभा प्रधान/अध्यक्ष भूमि प्रबंधक समिति को सूचनार्थ।